IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त

भूतल, हॉल सं0–2, आफिस काम्प्लेक्स,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 2963 / M-13 / 123 दिनांक 25/07/24

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से ई–निविदाएं एकल/टू–बिड पद्धति से दिनांक 20.08.2024 को 5:00 बजे तक **https://etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी बिड्स दिनांक 21.08.2024 अपरान्ह 12:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	बिड्ड पद्धति	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबंधित खण्ड का नाम
1–	वृन्दावन योजना सं0–2, सेक्टर–9बी में संचालित ऑफिस काम्पलेक्स (जी+5) की साफ–सफाई का कार्य।	8.75	0.175	500.00+ GST (18%)	एकल बिड	07 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ–04
2–	वृन्दावन योजना सं0–2, सेक्टर–9बी में संचालित ऑफिस काम्पलेक्स (जी+5) की सुरक्षा संबंधी कार्य।	7.00	0.14	500.00+ GST (18%)	एकल बिड	07 माह	
3–	वृन्दावन योजना सं0–3 व 4 में उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु डोर–टू–डोर कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग तथा संचालन का कार्य।	17.30	0.35	1500.00+ GST (18%)	एकल बिड	07 माह	
4–	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की गोकुल ग्राम योजना सं0–1 मुन्नूखेडा एवं योजना सं0–2 बीबीखेडा, लखनऊ में उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु डोर–टू–डोर कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग तथा संचालन का कार्य।	16.84	0.34	1770.00 + GST (18%)	एकल बिड	07 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ–02
5–	वृन्दावन योजना सं0–4 लखनऊ के सेक्टर–19सी के क्षेत्र में आन्तरिक सड़कों के नान बिटुमिनस लेयर्स का निर्माण कार्य।	236.47	4.73	4500.00+ GST (18%)	टू–बिड	09 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ–05

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 26.07.2024
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 27.07.2024
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.07.2024 को पूर्वान्ह 12:00 बजे से दिनांक 20.08.2024 अपरान्ह 02:00 बजे तक
बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.07.2024 को पूर्वान्ह 01:00 बजे से दिनांक 20.08.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक
बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 21.08.2024 अपरान्ह 12:30 बजे

ई–निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक–1, 2 व 3 के कार्य हेतु

1- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-04, U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
A/C No. 681510110001374
IFSC Code No. BKID0006815
Name of Bank-Bank of India, Subhani Khera, Lucknow

क्रमांक–4 के कार्य हेतु

2- Name of A/C Holder- EX.ENG.CD.Lko-02,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
A/C No. 56630100004600
IFSC Code No.BARB0VRILUC
Name of Bank- Bank of Baroda, Vrindavan Yojna,Lucknow.

		क्रमांक–5 के कार्य हेतु 2- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-05,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. 595702010002965 IFSC Code No. UBIN0559571 Name of Bank-Union Bank Of India, Ashiyana Branch, Lucknow
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	प्रपत्र/तकनीकी बिड के परीक्षणोंपरान्त बेवसाइट **https://etender.up.nic.in** पर सूचित की जाएगी।	

नियम व शर्ते

1– निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT/ONLINE का यू0टी0आर0/रिफरेन्श नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।

2– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट https://upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मो द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

3– परिषद में उपर्युक्त कार्य हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी निविदादाताओं की ही निविदायें मान्य होंगी तथा अन्य निविदादाताओं की निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

4– निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।

5– निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नही होगा।

6– निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

7– निविदादातओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।

8– अनुबन्ध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9– शासनादेश संख्या 622/2372–12–2012–2 ऑडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के कम में मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों निविदा के मामले में वॉछित परफारमेन्स गारन्टी, वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर एल–1 निविदादाता को जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

10– निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

11– निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर, ई0पी0एफ0 एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

12– बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य सभी कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार अतिरिक्त किया जायेगा।

13– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

14– समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।

15– जी0पी0डब्लू0–9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

16– कमांक–3 एवं 4 पर अंकित कार्य हेतु अतिरिक्त शर्तेः–

16.1– समस्त यंत्र संयत्र एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

16.2– परिषद के क्षेत्र से एकत्र ठोस अपशिष्ट को फर्म द्वारा स्वयं के पूर्व अधिष्ठापित एवं कार्यरत प्रोसेसिंग प्लान्ट पर ले जाकर प्रोसेसिंग करना अनुमन्य होगा अथवा कार्यरत प्रोसिसिंग प्लान्ट से फर्म के अनुबन्ध सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे।

16.3– पूर्व में अधिष्ठापित प्रोसेसिंग प्लान्ट का स्थल, क्षमता एवं प्लांट विगत तीन वर्षो से संचालित है, का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16.4– कार्य हेतु वांछित समस्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र फर्म द्वारा स्वयं प्राप्त करने होंगे।

16.5– न्यूनतम टिपिंग फीस के आधार पर निविदादाता का चयन किया जायेगा।

16.6– निविदाता द्वारा उ0प्र0 में कम से कम एक नगर निकाय में इस तरह के प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित किया गया हो तथा वर्तमान में संचालित किया जा रहा हो।

16.7– समस्त कार्य/संचालन सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के अनुसार एवं गुणवत्तायुक्त करना आवश्यक होगा।

16.8– स्थलों का निरीक्षण निविदादाता को निविदा देने के पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16.9– डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्र करने के कार्य हेतु यूजर चार्ज सहित समस्त व्यय प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित है, जिस हेतु परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

16.10– निविदा की दर स्वीकार करने का मुख्य आधार निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित की गयी न्यूनतम टिपिंग फीस प्रति मी0टन होगी जिसमें समस्त कर सम्मिलित है तथा उक्त दरों पर सॉलिड वेस्ट परियोजनाओं को जी0एस0टी0 से मुक्त रखने के पूर्व प्राविधान के अनुसार जी0एस0टी0 देय नहीं होगा।

16.11– घरों से संग्रहीत कूड़े को निर्धारित स्थानान्तरित स्थलों पर निर्धारित स्थानान्तरण स्थलों से प्रोसेसिंग प्लान्ट तक कूड़ा ले जाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

17– क्रम सं0–5 पर अंकित कार्य हेतु अतिरिक्त शर्तेः–

17.1– क्रम सं0–5 पर अंकित कार्य हेतु Cement Treated Soil Sub-Grade/ Cement Treated Sub-Base (CTSB)/ Cement Treated Base (CTB) एवं अर्थ फिलिंग मदों हेतु आवश्यक टी0एण्डपी0 यथा मोटर ग्रेडर, रोटावेटर और वाइब्रेटरी रोलर का स्वामित्व रखने वाले ठेकेदारों/फर्मो की निविदायें ही मान्य होंगी।

17.2– क्रम सं0–5 पर अंकित कार्य हेतु मिट्टी भराई का कार्य ई–निविदादाता द्वारा नियमानुसार खनन विभाग/जिलाधिकारी लखनऊ से निविदादाता को अपने व्यय पर अनुमति प्राप्त करके कराया जाना होगा, जिसका शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

17.3– निविदादाता द्वारा भराई हेतु बाहर से लायी जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त हो एवं मिट्टी दीमक एवं साल्टपीटर रहित हो, की जांच सक्षम प्रयोगशाला से अपने व्यय पर कराने का शपथ पत्र ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

17.4– निविदादाता द्वारा मिट्टी भराई कर स्थल की सी0बी0आर0 वैल्यू–07 प्राप्त किये जाने तथा सक्षम प्रयोगशाला से जांच अपने व्यय पर किये जाने का शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

18– कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्युलेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।

19– निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।

20– शासनादेश संख्या 622/2372–12–2 ऑडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकदार द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी–

(क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।

(ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।

21– सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।

22– उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड–19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

23– सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

(डी0के0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 2963 / M-13 / 123 दिनांक– 25/05/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

3– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–2/4/5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

5– इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6– सहायक अभियन्ता(तक0), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।

7– नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता